

एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर छ.ग.

क्रमांक / अ.क. 09/15 / 1088 / 2015,
प्रति,

रायपुर, दिनांक : 18/03 / 2015

श्री संजय देवस्थले
निरीक्षक,
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर

विषय:- अपराध क्रमांक 09/2015, धारा- 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 109, 120बी. भादवि0 के संबंध में।

—0—

उपरोक्त अपराध की विवेचना अंतर्गत आपके द्वारा विशेष शाखा से उक्त अपराध से संबंधित लोगो का पूर्व में टेलीफोन अंतःरोधन किये गये ऑडियो रिकार्डिंग एवं ट्रान्सक्रिप्ट प्रकरण में साक्ष्य हेतु चाहा गया है। इस हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं विशेष शाखा में सीएमसी प्रभारी से मिलकर Relevant Call and Transcript विधिवत नियमानुसार प्राप्त करें।


(रजनेश सिंह)
पुलिस अधीक्षक
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक